न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 88/2014

आरसीएमएस नम्बर– 2014/00305

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
सुरेश कुमार पुत्र नारायण जी जाति राजपुरोहित निवासी शिवतलाव तहसील बाली		1 ओटरमलसिंह पुत्र हेमा जी जाति राजपुरोहित निवासी शिवतलाव तहसील बाली 2 ग्राम पंचायत शिवतलाव जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. श्री मनीष राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री पवन सिंघल, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

—: निर्णय :—

दिनांक 31/7/2019

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत शिवतलाव द्वारा मिसल संख्या 31/1981–1982 के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 11.10.1982 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 15 दिनांक 11.09.2006 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा जारी कराने का निवेदन किया तथा आवेदन पत्र में वांछित भूमि के उत्तर में जोरसिंह पुत्र खीमा जी का प्लॉट व दक्षिण में पड़त आबादी दर्शाई गई, जबकि जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, उसमें उत्तर में आम रास्ता व दरवाजा, दक्षिण में जब्बरसिंह पुत्र गुमानसिंह का प्लॉट होना अंकित किया। ग्राम पंचायत के समक्ष जो नक्शा मौका प्रस्तुत किया गया, उसमें नाप 1575 वर्गफीट अंकित है, जबकि पट्टे में जो नाप अंकित किया गया है, वह 4200 वर्गफीट का जारी किया गया हैं। इस प्रकार आवेदन पत्र एवं पट्टे मे अंकित पडौस एवं नाप का मिलान ही नहीं होता हैं। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियमों में जो प्रक्रिया विहित है, उनकी पालना ही नहीं की गई। आवेदन पुराने कब्जे के आधार पर किया गया है तथा पट्टा नीलामी में दिया गया हैं। जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया

अति० जिला कलक्टर, पाली

गया है, उसके पूर्व की तरफ जो गली अंकित है, वह प्रार्थी एवं अन्य निवासियों के आवागमन का मार्ग है, जिसका ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी किया हैं। जैर निगरानी विवादित आराजी रास्ते की भूमि हैं, जिसका विधि अनुसार पट्टा जारी नहीं किया जा सकता सम्पूर्ण मिसल में विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए कार्यवाही की गई तथा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया, जो विधि विरूद्ध हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 13.06.2015 को निर्णय पारित किया जा चुका था। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की, जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया हैं। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी नया तथ्य अथवा साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है, जो प्रकरण की परिस्थितियों को परिवर्तित अथवा प्रभावित करता हो। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा विधि विरूद्ध होने से खारिज़ करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी होने के 10 वर्ष की अवधि के पश्चात प्रार्थी द्वारा यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की है, जो मियाद बाहर होने से ही खारिज़ योग्य हैं। प्रार्थी जिस रास्ते का जिक्र कर रहे है, उसके समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत नहीं किया है, जो इस तथ्य की ताईद करता हो, कि जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी हुआ है, वह रास्ते की भूमि पर बना हो। जैर निगरानी विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायत के समक्ष पट्टा प्रदान कराने हेतु निवेदन किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं हैं। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। जैर निगरानी मिसल के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आवासीय भूखण्ड का पट्टा दिलाने का निवेदन किया, जिसमें वांछित भूमि के पडौस निम्न प्रकार से अंकित किए, पूर्व में दरवाजा एवं रास्ता, पश्चिम में दरवाजा एव आम रास्ता, उत्तर में जोरसिंह पुत्र खीमाजी का प्लोट तथा दक्षिण में पड़त आबादी। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 03.02.1980 को सचिव को नक्शा तैयार करने के आदेश पारित किए। इस पर दिनांक 13.02.1980 को ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा नक्शा तैयार कर पंचायत कोरम के समक्ष प्रस्तुत किया। इस पर पंचायत द्वारा तीन वार्ड पंचों को मौका निरीक्षण हेतु मनोनित किया। पंचों ने अपनी रिपोर्ट में आबादी में परिवर्तित नई भूमि में भूखण्ड उपलब्ध होना बताते हुए नियमानुसार कार्यवाही कराने का निवेदन किया। इस पर पंचायत बैठक दिनांक 25.02.1980 को भूखण्ड को अस्थाई विक्रय करने का निर्णय लेते हुए आपत्ति इश्तिहार जारी करने का निर्णय किया। उक्त आदेश की पालना में आपत्ति इश्तिहार जारी नहीं होने के

अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अति० जिला कलक्टर, पाली

पश्चात बैठक दिनांक 13.08.1981 के प्रस्ताव संख्या 7 की पालना में खसरा नम्बर 472 की भूमि, जो आबादी में परिवर्तित हो चुकी थी, उसमें से भूखण्ड संख्या 3 के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के आदेश पारित किए गए। इसके बाद दिनांक 28.08.1981 को वांछित भूमि नीलाम के सम्बन्ध आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 04.09.1981 को आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, जो दिनांक 05.09.1981 को चस्पा किया गया। निर्धारित अवधि समाप्त होने पर दिनांक 05.10.1981 को खसरा नम्बर 472 में स्थित आबादी भूमि में भूखण्ड की नीलामी की गई, जिसमें कम बोली रहने पर दिनांक 06.10.1981 को पुनः बोली लगवाई गई, जिसमें अधिकतम बोली अप्रार्थी संख्या 1 की रहने से अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी करने के आदेश दिनांक 11.10.1981 को पारित किए गए, जिसकी पालना में जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया। चूंकि उक्त नीलामी की अन्तिम बोली 1000 रुपये से कम रही थी, जिसे स्वीकृत करने हेतु पंचायत सक्षम होने के कारण पंचायत द्वारा ही उक्त बोली स्वीकृत की गई, जो विधि सम्मत हैं। इस प्रकार प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा जो कार्यवाही की गई है, उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती हैं।

परिणाम स्वरूप निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा ग्राम पंचायत शिवतलाव द्वारा मिसल संख्या 31/1981–1982 के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 11.10.1982 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 15 दिनांक 11.09.2006 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की सत्य प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 31/07/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली